



महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) - द्वितीय का कार्यालय, मध्यप्रदेश
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II, Madhya Pradesh



No. /Pension/DRSSA/Chhattisgarh-02/2019-20

Date :- 06.05.2019

To,

All District/Sub Treasury Officers

Sub:- 30% Additional relief to pensioners/family pensioners of State Judicial Service in basic pension/family pension.

- Ref:-**
1. SSA No. P.A./General/Dearness Order/180 dated 16-04-2019, office of the Accountant General (A&E) Chhattisgarh, Raipur.
 2. Government of India, Ministry of Finance, in their O.M. No./3700/21-B/C.G./18 dated 28-11-2018

I am to enclose herewith the copy of SSA received from Office of the Accountant General (A&E) Chhattisgarh which encloses the letters referred above regarding 30% Additional relief to pensioners/family pensioners of State Judicial Service in basic pension/family pension. The same is being placed on the official website of the office (www.agmp.cag.gov.in) under the link "**Pensioners Corner**". A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasury.


Accounts Officer/Pension

No. /Pension/DRSSA/ Chhattisgarh-02/2019-20

Date :-

Endt. Copy for information-

Office of the Accountant General (A&E) Chhattisgarh, Raipur for information regarding your letter dated 16-04-2019.


Accounts Officer/Pension

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ रायपुर

पंजीकृत विशेष मूद्रा प्राधिकार

क्र.पी.ए./सामान्य/राहत आदेश/
प्रति,

180

000822

दिनांक: 16 / 04 / 2019

SP-151024940

I


- 01 वेतन एवं लेखा कार्यालय, पेंशन कार्यालय क्र-5, कोषालय भवन, तीज हजारी कोर्ट काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110124
- 02 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) आंध्र प्रदेश, सैफाबाद, हैदराबाद-500463
- 03 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) अरुणाचल प्रदेश, ईटा नगर-791111
- 04 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) असम, गुवाहाटी, मैदामगांव बेलटोला, गुवाहाटी-781029
- 05 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-।। बिहार, पटना, बीर चंद पटेल पथ, पटना-800001
- 06 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, अहमदाबाद ब्रांच, 'आडिट भवन', नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009
- 07 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, प्लॉट नं.-4 एवं 5, सेक्टर 33-बी, चंडीगढ़-160047
- 08 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोरटोन कैसल बिल्डिंग, शिमला-171003
- 09 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू कश्मीर, एग्जीक्यूशन ग्राउन्ड के निकट, श्रीनगर-190009
- 10 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, पी.ओ.-डोरंडा, रॉंची-834002
- 11 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, पार्क हाउस रोड, पो.बॉ.-5329/5369 बैंगलोर-560001
- 12 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरला, पो.बॉ.-5607, एम.जी. रोड, तिरुवनंथपुरम-695039
- 13 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-।। मध्य प्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर-474002
- 14 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कारवे मार्ग, पुरानी सी.जी.ओ. बिल्डिंग, एन.मैरीन लाईन्स, मुंबई
- 15 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-।। महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर-440001
- 16 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल-795001
- 17 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, शिलांग-793001
- 18 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मिजोरम, श्री बुआलहरंगा बिल्डिंग दिनथर, ऐज़वल-796001
- 19 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) नागालैंड, कोहिमा-797001
- 20 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ओडीशा, भुवनेश्वर-751001
- 21 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब एवं चंडीगढ़, सेक्टर 17-ई, चंडीगढ़-160017
- 22 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जनपथ जयपुर-302005
- 23 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम, लेखा परीक्षा भवन देवराती पी.ओ.-टाडोंग, गंगटॉक-737102
- 24 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तामिलनाडु, 361 अन्ना सलाई टेयनामपेट, चेन्नई-600018
- 25 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) त्रिपुरा, पी.आ.-कुंजाभवन, अगरतला-799006
- 26 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लोकल बॉडी लेखापरीक्षा एवं लेखा) उत्तरांचल, देहरादून ऑबेराय मोटर बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248171
- 27 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तर प्रदेश, 20, सरोजिनी नाईडु मार्ग, इलाहाबाद-211001
- 28 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) वेस्ट बेंगॉल, कोषालय भवन क्रमांक-2, गवर्नमेंट प्लेस (वेस्ट) कोलकता-700001
- 29 कन्ट्रोलर ऑफ अकाउन्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफैर्स, तीसरी मंजिल, अकबर भवन नई दिल्ली
- 30 डायरेक्टर ऑफ अकाउन्ट्स, पेंशन अनुभाग, पानाजी, गोवा
- 31 डायरेक्टर ऑफ अकाउन्ट्स एवं ट्रेजरी, पांडीचेरी सरकार, पांडीचेरी
- 32 प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तेलंगाना, सैफाबाद, हैदराबाद-500463

विषय: राज्य न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स के उनके मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 30% अतिरिक्त राहत के संबंध में।

संदर्भ: Government of India, Department of Finance, in their- 3700/21-B/C.G./18, Dated 28.11.2018

संदर्भित ज्ञापन में दिये गये निर्देशों का पालन करने एवं अपने अधीनस्थों को अपने स्तर से सूचित करने हेतु प्रेषित। कृपया इसकी पावती भेजने का कष्ट करें।

संलग्न: संदर्भित ज्ञापन की प्रति-(01 पृष्ठ)



क्र.पी.ए./सामान्य/राहत आदेश/

दिनांक: / 04 / 2019

अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक 2021, दिनांक 23.02.2019 के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित।

DA - 16
25-4-19

S. Heugank

Sd/-
लेखा अधिकारी/पी.ए.

छत्तीसगढ़ शासन
विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0) 492002

आदेश

रायपुर, दिनांक /11/2018

क्रमांक /3700/21-ब/छ0ग0/18,- राज्य शासन, एतद्वारा, रिट पिटीशन (सि) क्रमांक 643/2015 ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन विरुद्ध यूनियन आफ इंडिया एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27 मार्च, 2018 के अनुपालन में, द्वितीय न्यायिक वेतन आयोग के अंतरिम सिफारिशों के आधार पर, राज्य न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स को उनके मूल पेंशन/फैमिलि पेंशन का 30 प्रतिशत अंतरिम राहत के रूप में दिनांक 01.01.2016 से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करती है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू0ओ0क्रमांक एफ2018-21-01550, दिनांक 13.11.2018 द्वारा प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(रविशंकर शर्मा)

प्रमुख सचिव

छ0ग0शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ. क्रमांक 1502 /3700/21-ब/छ0ग0/18,


अटल नगर, दिनांक /11/2018

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय अटल नगर, रायपुर (छ0ग0),
2. रजिस्ट्रार जनरल, छ0ग0 उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर आवश्यक आदेश जारी करने के साथ-साथ अन्य राज्यों के महालेखाकार को प्रेषित करने हेतु,
4. मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, गवर्नमेंट एण्ड बैंक एकाऊण्ट डिपार्टमेंट, सी-7 बान्द्रा, कुर्ला काम्प्लेक्स, पोस्ट बाक्स नं0 (पूर्व) मुंबई/लेखाधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक, शुभाशीष परिसर, महादेव घाट रोड़, प्रेम विहार, डंगानिया, सुन्दर नगर रायपुर, छ.ग. 492013 (फोन. नं.- 0771-2242332), की ओर सभी संबंधित बैंक की शाखाओं को इस आदेश की प्रति अग्रेषित करने के निवेदन सहित,
5. मान0 मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव की ओर मान0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ,
6. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय अटल नगर, रायपुर (छ0ग0),
7. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर,
8. मान0 विधिमंत्री जी के निज सचिव की ओर मान0 विधिमंत्री जी के अवलोकनार्थ,
9. प्रमुख सचिव, विधि के स्टाफ आफिसर की ओर मान0 प्रमुख सचिव, विधि के अवलोकनार्थ,

10. संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन छ.ग. रायपुर,
11. समस्त जिला कोषालय अधिकारी छ.ग.,
12. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश छ.ग.,
13. सचिव छ.ग. मानव अधिकार आयोग रायपुर,
14. सचिव लोक आयोग छ.ग. रायपुर,
15. रजिस्ट्रार, राज्य उपभोगता विवाद प्रतितोषण आयोग रायपुर,
16. अध्यक्ष, छ.ग. राज्य औद्योगिक न्यायालय रायपुर,
17. पीठासीन अधिकारी राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, रायपुर,
18. सदस्य सचिव, छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा मार्ग बिलासपुर,
19. रजिस्ट्रार, छ.ग. माध्यस्थम अधिकरण रायपुर,
20. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, इन्द्रावती भवन के पीछे, एमीनिटीज ब्लॉक, अटल नगर, रायपुर (छ0ग0) की ओर छ0ग0 राजपत्र (असाधारण) के आगामी अंक में अनिवार्य रूप से प्रकाशित करने हेतु,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

 28.11.18

(मनीष कुमार ठाकुर)
अतिरिक्त सचिव

छ.ग. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग